न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०
पीठासीन अधिकारी
काना राम मीणा,
(RJS)
निर्णय दिनांक :– 12.03.2026
आपराधिक प्रकरण सं. 95/2026
सीआईएस नं. 350/2016
CNR No. RJBR020017582016
एफआईआर सं. 197/2016 पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. श्यामलाल अग्रवाल पुत्र धन्नालाल निवासी कलमण्डा थाना सदर बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज जैन

B

अपराध की दिनांक		05.06.2016
एफआईआर की दिनांक		05.06.2016
आरोप पत्र की दिनांक		08.09.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		08.09.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		14.05.2019
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12-03-2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		12-03-2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	12-03-2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	श्यामलाल	05.06.2016	10.06.2016	8/20 एनडीपीएस एक्ट	दोषसिद्धि	पैरा नंबर 26 पर अंकितानुसार	–

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	अर्जुन	ताईद चश्मदीद वाका
PW2	शंकर सिंह	ताईद फर्द नक्शा मौका
PW3	विनोद कुमार	ताईद फर्द चैकिंग व जप्ती
PW4	यशवीर सिंह	ताईद चश्मदीद वाका
PW5	भवानी सिंह	ताईद चश्मदीद वाका
PW6	भीमराज	ताईद माल एफएसएल जमा करवाना
PW7	रामप्रसाद नागर	ताईद माल जमा मालखाना करना
PW8	मेघराज	ताईद चश्मदीद वाका
PW9	श्री राम बढेसरा	हालात तफ्तीश
PW10	आशा	ताईद चश्मदीद वाका
PW11	बाबूलाल	फरियादी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 14.05.19 PW1	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की प्रति
2	Ex P2 11.04.22 PW2, PW8, PW9, PW11	नक्शा मौका
3	Ex P3 11.04.22 PW3, PW8, PW9, PW10, PW11	फर्द जप्ती
4	Ex P4 11.04.22 PW3, PW11	हुकुमनामा
5	Ex P5 11.04.22 PW3, PW8, PW11	गवाह बनने की सहमति का नोटिस
6	Ex P6 11.04.22 PW3, PW11	फर्द सहमति गवाह
7	Ex P7 11.04.22 PW3, PW8, PW11	फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल
8	Ex P8 11.04.22 PW3, PW8, PW11	फर्द नमूना सील
9	Ex P9 11.04.22 PW3, PW8, PW11	फर्द नमूना नष्टीकरण सील
10	Ex P10 11.04.22 PW3, PW8, PW9, PW11	फर्द पुनः नमूना सील
11	Ex P11 11.04.22 PW3, PW8, PW11	फर्द गिरफ्तारी
12	Ex P12 05.05.23 PW6, PW9	रसीद
13	Ex P13 05.05.23 PW6, PW9	अग्रेषण पत्र
14	Ex P13, Ex P13a 19.07.23 PW7, PW9	असल मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति
15	Ex P14 16.06.25 PW9, PW11	चाक एफआईआर
16	Ex P15 लगायत Ex P17 16.06.25 PW9, PW11	रपट रवानगी
17	Ex P18 PW9	एफएसएल रिपोर्ट

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	-		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना सदर बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.06.2016 को श्री बाबूलाल उ.नि. मय हमराही जाप्ता सुश्री आशा, विनोद कुमार, मेघराज, अर्जुन कुमार, यशवीर सिंह जीप सरकारी चालक भवानी सिंह के वास्ते गश्त एवं चैकिंग अवैध कार्य जुआ, सट्टा, शराब, हथियार हेतु बामला, बामली, रटावद, खैरली मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से समय 8.30 एएम पर रवाना हुआ था। रवाना होकर चैकिंग अवैध कार्य हेतु बामला जा रहा था। झालावड रोड खैराली तिराहे के पास एक व्यक्ति कलमण्डा की तरफ आता नजर आया जो कि पुलिस जीप व जाप्ता को बावर्दी देखकर तेज कदमों से चलकर छुपने की कोशिश करने लगा जिसका आचरण संदिग्ध होने से मन एसआई मय हमराही जाप्ता ने घेरा देकर डिटेन किया तथा नाम पता पूछा तो अपना नाम श्यामलाल होना बताया, जो कि काफी घबराया हुआ था। बार–बार अपने हाथों को साफी को पीछे की तरफ छुपाने का प्रयास कर रहा था। जिसके बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उक्त श्यामलाल को चैक किया जाना आवश्यक होने से चैकिंग कार्यवाही हेतु विनोद कुमार को स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु समय 9.20 एएम पर हुकमनामा देकर रवाना किया जिसने समय 9.30 एएम पर वापस आकर बताया कि आस–पास कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। इस पर हमराही जाप्ते में से ही विनोद कुमार व मेघराज को गवाह मामूर कर चैकिंग कार्यवाही हेतु गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई। मन एसआई मय गवाहान जाप्ता ने अपनी जामा तलाशी संदिग्ध श्यामलाल अग्रवाल को दी जाकर तत्पश्चात मन बाबूलाल एसआई ने नियमानुसार संदिग्ध श्यामलाल को चैक कियातो श्यामलाल के हाथ की एक सफेद साफी में कुछ लिपटा हुआ है, साफी को खोलकर देखा

तो उसमें प्लास्टिक की एक थैली में हरे रंग का पदार्थ भरा मिला जिसे सूंघा, परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया। श्यामलाल ने भी मादक पदार्थ गांजा होना बताया। श्यामलाल को गांजा अपने पास रखने बाबत् अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। श्यामलाल का उक्त कृत्य अपराध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने पर बरामद गांजा को कब्जे पुलिस लिया जाकर अनुसंधान बॉक्स के तराजू बार से वजन किया गया तो शुद्ध गांजे का वजन 250 ग्राम हुआ जिसमें से नमूना सैंपल हेतु 50 ग्राम गांजा लिया जाकर एक प्लास्टिक की थैली में रख कपडे में सील मोहर मार्क ए दिया गया। शेष गांजा को उसी प्लास्टिक की थैली में सील मोहर मय साफी के किया जाकर मार्क बी दिया गया। श्यामलाल की जामा तलाशी में सौ–सौ के तीन नोट तथा दस–दस के तीस नोट कुल 600 रूपए मिले जिन्हें श्यामलाल ने गांजा बिक्री की राशि होना बताया जिन्हें बतौर वजह सबूत एक लिफाफे में रख सील मोहर कर मार्क सी दिया गया। मुल्जिम श्यामलाल को बाद आगाह जुर्म अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया.....इत्यादि।

3. उक्त पर्चा कायमी के आधार पर पुलिस थाना सदर बारां पर मुकदमा नं0 197/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में फर्द जप्ती साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है, मुल्जिम को प्रकरण में झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.06.2016 को समय 10.15 एएम के लगभग झालावड मेगा हाईवे पर खैराली तिराहा के पास दौराने चैकिंग पुलिस ने आपके सचेतन आधिपत्य से हरे रंग का पदार्थ मिला जिन्हें सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया जिसका शुद्ध वजन 250 ग्राम था। उक्त मादक पदार्थ गांजा को अपने आधिपत्य में रखने तथा परिवहन करने बाबत् आपके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 अर्जुन ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.06.16 को वह थाना बारां सदर में पदस्थापित था। उस दिन बाबूलाल एसआई के साथ वह, आशारानी एसआईपी विनोद कुमार, यशवीर सिंह, मेघराज मय जीप सरकारी चालक भवानी सिंह थाने से समय 08:30 एएम पर वास्ते गश्त एवं चैकिंग हेतु मय अनुसंधान बाक्स के रवाना होकर गश्त बामला बामली करते हुए बामला जा रहे थे। झालावाड रोड खेराली तिराहे के पास एक व्यक्ति कलमण्डा की तरफ से आता हुआ नजर आया जो बावर्दी पुलिस को देखकर इधर उधर छिपने की कोशिश करने लगा, तेज कदमों से जाने लगा। संदेह होने से गाडी रोककर उसे डिटेन किया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल अग्रवाल होना बताया। काफी घबराया हुआ था। उसके हाथ में एक सफेद रंग की शापी थी जो पीछे छुपा रहा था। उसके लिए पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर चैकिंग आवश्यक होने से एसआई साहब ने विनोद कुमार कानि. को स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु लिखित में हुक्मनामा देकर भेजा। कोई भी गवाह नहीं मिलने पर जाब्ते में से ही विनोद कुमार व मेघराज को गवाह मामूर कर श्यामलाल के हाथ की सफेद शापी को चैक किया तो उसमें एक प्लास्टिक की थैली में हरे रंग का पदार्थ भरा मिला जिसे सभी ने सूंघा, परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना बताया। श्यामलाल ने भी गांजा होना बताया। गांजा रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। इस पर मौके पर ही गांजे का वजन किया तो शुद्ध गांजे का वजन 250 ग्राम हुआ जिसमें से मौके पर ही 50 ग्राम बतौर नमूना सेम्पल निकालकर एक थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का ए दिया। शेष गांजे को उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर शापी के साथ सील मोहर कर मार्का बी दिया। उसकी तलाशी में कुल 600/– रूपये मिले जो तीन 100–100 के नोट और 30 नोट 10–10 के मिले जो उसने गांजा बिक्री के होना बताया। रूपयों को एक लिफाफे में रखकर सील मोहर कर मार्का सी दिया। मौके की कार्रवाई पूर्ण कर जब्तशुदा मादक पदार्थ व गिरफ्तार मुलजिम को लेकर थाने आ गए। आकर मुकदमा दर्ज करवाया।

थानाधिकारी ने उक्त मुकदमे की सूचना 57 एनडीपीएस एक्ट की उसे एसपी साहब को देने के लिए रवाना किया जो वह लेकर एसपी कार्यालय में पहुंचा वहां एसपी साहब नहीं होने पर एसपी साहब के निवास पर ले जाकर सूचना दी तथा एक प्रति पर हस्ताक्षर करवाए थे। सूचना 57 एनडीपीएस एक्ट की प्रति प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी एसपी साहब के प्राप्ति के हस्ताक्षर है।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि स्वतंत्र गवाह तलाश करने के लिए विनोद कानि. गया था। यह कहना सही है जब्तीस्थल पर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। उन्हें मुलजिम पर शक हो गया था कि इसके पास कोई भी अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। यह कहना सही है कि मुलजिम को डिटेन करने के पश्चात् तलाशी से पूर्व मजिस्ट्रेट साहब, राजपत्रित अधिकारी या उनके पुलिस के उच्च अधिकारी को सूचित नहीं किया। यह कहना सही है कि जब्ती मादक पदार्थ तथा अन्य किसी भी फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर साथ नहीं गया है। यह कहना भी गलत है कि उसके सामने कोई फर्द नहीं बनाई हो। यह कहना भी गलत है कि उन्होंने मुलजिम को झूठा फंसाया हो और संपूर्ण कार्रवाई थाने पर बैठकर की हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 शंकर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 06.06.2016 को थाना सदर बारां में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं0 197/2016 अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में आईओ राम भडेसरा थानाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 उसके सामने बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटनास्थल मेगा हाईवे है। इसके आस–पास माल खेत है। यहां हमेशा आवाजाही बनी रहती है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया क्योंकि कोई बनने को तैयार नहीं हुआ। यह कहना सही है कि वह गवाह को बुलाने नहीं गया।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 विनोद कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.2016 को थाना सदर बारां में कानि0 के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्री बाबूलाल मीणा एसआई के मय जाप्ता मय अनुसंधान बाक्स के सरकारी जीप से पुलिस थाने से 8.30 एएम पर वास्ते गश्त व चैकिंग व अवैध कार्य हेतु रवाना होकर गश्त व चैकिंग करते हुए बामला, बामली जा रहे थे। झालावाड रोड खेराली तिराहे के पास एक व्यक्ति कलमण्डा की तरफ से आता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ता को देखकर

छीपने की कोशिश करने लगा। एसआई साहब ने घेरा देकर डिटेन किया व उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल अग्रवाल होना बताया। उससे भागने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिसका आचरण संदिग्ध होने से उसकी तलाशी लेना आवश्यक समझते हुए। स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु उसे लिखित में समय 9.20 एएम पर हुक्मनामा देकर भेजा। थोडी देर बाद समय 9.30 एएम पर आकर मैंने बताया कि आसपास कोई गवाह नहीं मिला। जिसकी मैंने हुक्मनामें पर अपनी रिपोर्ट पेश की। जिस पर उसे व मेघराज कानि0 को गवाह मामूर कर लिखित में सहमति चाही जिस पर हमने एसआई साहब को उसी नोटिस पर लिखित में गवाह बनने की सहमति दी और एक दूसरे की हमने तलाशी ली। इस पर एसआई साहब ने उसकी तलाशी ली। तो उक्त व्यक्ति के हाथ में एक सफैद साफी में कुछ लिपटा हुआ था जिसे खोलकर देखा तो उसमें प्लास्टिक की एक थैली में हरे रंग का पदार्थ भरा मिला जिसे सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया तथा श्यामालाल ने भी गांजा होना बताया। उक्त व्यक्ति से अपने कब्जे में गांजा रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। जिसका उक्त कृत्य धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उसके कब्जे से मिले गांजा का वनज किया गया तो शुद्ध गांजे का वनज 250 ग्राम हुआ जिसमें से नमूना सेम्पल हेतु 50 ग्राम गांजा निकाला जाकर सील्ड मुहर कर मार्का ए दिया गया तथा शेष गांजे को उसी प्लास्टिक के थैली में रखकर सील्ड मुहर कर मार्का बी दिया गया। श्यामलाल की जामा तलाशी में उसके पास से 600 रूपयें नकद मिले। जिनकों श्यामालाल ने गांजा बिक्री की राशि होना बताया जिसे सील मुहर कर मार्का सी दिया। मुलजिम श्यामलाल अग्रवाल को बाद आगाह जुर्म जरिए फर्द गिरफतारी के गिरफतार किया गया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। हुकुमनामा प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी इबारत अंकित है। गवाह बनने की सहमति का नोटिस प्रदर्श पी 5 है, फर्द सहमति गवाह प्रदर्श पी 6 है, फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल प्रदर्श पी 7 है, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 8 है, फर्द नमूना नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 9 है, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 10 है व फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 11 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि चैकिंग स्थल एक आम रोड है। जिस पर मोटरसाईकिल, जीप वगैरह वाहन आते–जाते रहते हैं। यह कहना सही है कि फर्द चैकिंग जप्ती पर जो गवाह बनाये है वह सब पुलिसकर्मी है किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। यह कहना सही है कि जिन व्यक्ति से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए कहा था उनकके ना प्रदर्श पी 03

में अंकित नहीं है। अजखुद कहा कि आस–पास कोई गवाह मिला नहीं। यह कहना सही है कि घटनास्थल से बस्ती लगभग 2 किमी दूरी पर है। यह कहना गलत है कि बस्ती में से किसी गवाह को बुलाने का प्रयास ना किया हो। तलाशी से पूर्व अभियुक्त से यह नहीं कहा कि वह अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट साहब के सामने या किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने लिवाना चाहते हो। पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी संदिग्ध व्यक्ति मिलने बाबत् सूचित नहीं किया। जिस तराजू से तौल किया वह इलेक्ट्रॉनिक कांटा था। उस कांटे में करीब 5 किलों तक तौल किया जा सकता था। यह कहना गलत है कि श्यामलाल के पास से कोई बरामदगी ना हुई हो और उसे झूंठा फंसाया हो।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 यशवीर सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.16 को थाना सदर बारां में कानि० के पद पर था। उस दिन श्री बाबूलाल एसआई के साथ वहए अर्जुन, विनोद, मेघराज, सुश्री आशारानी मय सरकारी जीप चालक भवानी सिंह थाने से समय 8.30 एएम पर रवाना होकर चैकिंग अवैध कार्य हेतु बामलाए बामली होते हुए खेराली रोड के तिराहे की तरफ पहुंचे तो कलमण्डा की तरफ से एक व्यक्ति आता नजर आया जो पुलिस को देखकर तेज कदमों से जाने लगा जिस पर शक होने से जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पूछा तो अपना नाम श्यामलाल पुत्र धन्नालाल होना बताया। उसके हाथ में सफेद साफी थी जिसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से विनोद को स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु भेजा जिसने 10 मिनट बाद आकर बताया कि कोई गवाह नहीं मिला। इस पर जाप्ते में से मेघराज व विनोद को गवाह मामूर किया। मौके पर एसआई सा० ने खुद की तलाशी गवाहों से व गवाहों की तलाशी ली। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके हाथ में सफेद साफी को खोलकर देखा तो एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें हरे रंग का पदार्थ था जिसे सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांझा होना पाया। मौके पर ही उसका तौल किया तो कुल 250 ग्राम मिला। नमूना सेम्पल के लिए 50 ग्राम गांझा अलग से निकालकर कपडे की थैली में रख कर सिल्डमोहर कर मार्क ए दिया। शेष बचे गांजे को उसी थैली में रखकर सिल्डमोहर कर मार्क बी दिया। उक्त व्यक्ति के पास 3 नोट 100–100 रूपये के 30 नोट 10–10 रूपये के कुल 600 रूपये मिले जिन्हें लिफाफे में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क सी दिया। पदार्थ रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही मुल० को गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुल० के थाने आये।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे थाने से जीप से गए थे लेकिन उसके नंबर आज ध्यान नहीं है। यह सही है कि थाने

से रवाना होने के बाद रास्ते में अन्य कोई चालान नहीं काटे। यह सही है कि घटनास्थल पर वाहनों का आना–जाना लगा रहता है। स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु विनोद कानि. को भेजा था कोई नहीं मिला था। यह गलत है कि मुल्जिम की तलाशी हेतु किसी उच्चाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी को सूचित नहीं किया हो। यह सही है कि उसके किसी भी कार्यवाही की फर्द पर हस्ताक्षर नहीं है। यह गलत है कि कार्यवाही के समय वह मौके पर मौजूद नहीं हो और उसके सामने कोई फर्द नहीं बनाई हो। यह गलत है कि मुल्जिम को प्रकरण में झूठा फंसाया हो और कार्यवाही थाने पर ही की हो।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 भवानी सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.16 को थाना सदर बारां में चालक के पद पर था। उस दिन श्री बाबूलाल एसआई के साथ वह, अर्जुन, विनोद, मेघराजए यशवीरसिंह, सुश्री आशारानी के साथ मय सरकारी जीप के थाने से समय 8.30 एएम पर रवाना होकर चैकिंग अवैध कार्य हेतु बामलाए बामली होते हुए खेराली रोड के तिराहे की तरफ पहुंचे तो कलमण्डा की तरफ से एक व्यक्ति आता नजर आया जो पुलिस को देखकर तेज कदमों से जाने लगा जिस पर शक होने से जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पूछा तो अपना नाम श्यामलाल पुत्र धन्नालाल होना बताया। उसके हाथ में सफेद साफी थी जिसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसकी तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से विनोद को स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु भेजा जिसने 10 मिनट बाद आकर बताया कि कोई गवाह नहीं मिला। इस पर जाप्ते में से मेघराज व विनोद को गवाह मामूर किया। मौके पर एसआई सा० ने खुद की तलाशी गवाहों से व गवाहों की तलाशी ली। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके हाथ में सफेद साफी को खोलकर देखा तो एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें हरे रंग का पदार्थ था जिसे सूंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांझा होना पाया। मौके पर ही उसका तौल किया तो कुल 250 ग्राम मिला। नमूना सेम्पल के लिए 50 ग्राम गांझा अलग से निकालकर कपडे की थैली में रख कर सिल्डमोहर कर मार्क ए दिया। शेष बचे गांजे को उसी थैली में रखकर सिल्डमोहर कर मार्क बी दिया। उक्त व्यक्ति के पास 3 नोट 100–100 रूपये के 30 नोट 10–10 रूपये के कुल 600 रूपये मिले जिन्हें लिफाफे में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क सी दिया। पदार्थ रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही मुल० को गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुल० के थाने आये।

18. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे थाने से करीब 8.30 एएम पर रवाना हुए थे व करीब 9 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए थे। रास्ते में अन्य कोई कार्यवाही नहीं की थी। यह सही है कि घटनास्थल मेघा हाईवे है

जहां लोग आते–जाते रहते हैं। यह सही है कि सभी कार्यवाही की फर्दों पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है फिर कहा कि कानूनी पैचिदगी के कारण कोई बनने को तैयार नहीं हुआ। मुल्जिम की तलाशी से पूर्व किसी उच्चाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी को सूचना दी हो तो उसे आज याद नहीं है। संपूर्ण कार्यवाही करीब ढेड–दो घंटे चली थी। यह गलत है कि वह कार्यवाही के समय मौके पर नहीं हो। यह गलत है कि मुल्जिम को झूठा फंसाया हो और संपूर्ण फर्दे थाने पर बनाई हो।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–06 भीमराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.2016 को पुलिस थाना बारां सदर में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन रामप्रसाद जी हैड साहब ने उसे मुकदमा नंबर 197/2016 में एक पैकेट मार्का ए सील्ड शुदा रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवाने हेतु दिया था। उसने थाने से रवाना होकर एसपी ऑफिस बारां जाकर अग्रेषण पत्र बनाया तथा उसी दिन रवाना होकर दिनांक 09.06.16 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जाकर माल जमा करवाया व रसीद प्राप्त की तथा वापिस रवाना होकर दिनांक 10.06.16 को थाने पर माल जमा कराने की रसीद हैड साहब को संभला दी। रसीद प्रदर्श पी 12 है। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 13 है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह नहीं की गई।

20. गवाह पी0डब्ल्यू–07 रामप्रसाद नागर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.2016 को पुलिस थाना बारां सदर में एचसी के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना इंचार्ज भी था। उस दिन मुकदमा नंबर 197/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में जब्तशुदा तीन पैकेट मार्का ए, बी, सी, जिनमें ए व बी सील्ड शुदा व सी सील चिट था, को श्री बाबूलाल एसआई ने उसे जमा मालखाना हेतु दिया था जिन्हे उसने मालखाना रजिस्टर क्रमांक 564/204 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। जब्तशुदा पैकेट मार्क ए को वास्ते एफएसएल जयपुर में जमा कराने हेतु श्री भीमराज कॉन्स्टेब्ल को दिनांक 08.06.2016 को मालखाने से निकालकर मय अग्रेषण पत्र के एसपी ऑफिस बारां व एफएसएल जयपुर के लिये रवाना किया था। भीमराज कॉन्स्टेबल द्वारा बाद माल जमा एफएसएल जयपुर से रसीद संख्या 6676 दिनांक 09.06.2016 की दिनांक 10.06.2016 को लाकर उसे पेश की थी जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में किया जाकर आईओ को सुपुर्द की थी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 13 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13ए शामिल पत्रावली है।

21. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि जिस दिन माल जमा हुआ था उस दिन एसएचओ साहब श्री राम बडेसरा थे। उस दिन वे छुट्टी पर हो आज उसे यह याद नहीं है। यह कहना सही है कि माल जमा कराने के

बाद उसने एसएचओ साहब के हस्ताक्षर व उनकी सील मालखाना रजिस्टर पर अंकित नहीं की। जो पैकेट उसके समक्ष जमा करवाये गए थे उन पैकेटों पर लगाए गए चिट चस्पों पर किन गवाहों के हस्ताक्षर हो रहे थे यह वह नहीं बता सकता।

22. गवाह पी0डब्ल्यू–08 मेघराज ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 05.06.2016 को थाना बारां सदर में कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन उपनिरीक्षक बाबूलाल जी के साथ वह, आशा रानी, विनोद कुमार, अर्जुनराम, यशवीर मय सरकारी जीप चालक भवानीसिंह थाने से मय अनुसंधान बॉक्स जुआ, सट्टा, अवैध कार्य रोकथाम हेतु थाने से समय 8.30 एण्एम पर बामला–बामली, रटावत रवाना हुए थे। रवाना होकर बामला जा रहे थे तभी रास्ते में खैराली तिराहे के पास एक व्यक्ति कलमण्डा की तरफ से आता नजर आया। जो पुलिस जीप व जाप्ते को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। जिसका आचरण संदिग्ध होने से डिटेन किया। उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल पुत्र धन्नालाल महाजन होना बताया। जो काफी बराया हुआ था। जिसके हाथ में साफी थी, जिसको बार–बार पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी चैकिंग किया जाना आवश्यक होने से विनोद कुमार को लिखित में हुकुमनामा देकर गवाह तलबी हेतु भेजा। जिसने कुछ समय पश्चात् आकर बताया कि कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ना ही किसी ने अपना नाम पता बताया। फिर जाप्ते में से उसे व विनोद कुमार से गवाह बनने के लिखित में सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर किया। तत्पश्चात् एसण्आई साहब ने हम गवाहान की तलाशी ली और स्वयं की तलाशी उनसे करवायी। फिर श्यामलाल को चैक किया तो उसके हाथ में एक सफेद साफी मिली। जिसे खोलकर चैक किया तो उसमें प्लास्टिक की एक थैली मिली। जिसमें हरे रंग का पदार्थ मिला। जिसे सुंघा व परखा तो मादक पदार्थ गांजा होना पाया व श्यामलाल ने भी गांजा होना बताया। गांजा रखने व परिवहन करने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर ही गांजे का तौल किया तो गांजे का शुद्ध वजन 250 ग्राम, जिसमें 50 ग्राम गांजा बतौर नमूना सेम्पल निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर, एक कपड़े की थैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्का ए दिया। शेष गांजे को उसी कपड़े की थैली में रखकर सील्डमोहर कर मार्का बी दिया। तथा उसकी तलाशी के दौरान तीन सौ–सौ के नोट व दस के तीस नोट कुल 600 रूपये मिले। जिनके बारे में श्यामलाल से पूछा तो गांजा ब्रिकी के होना बताया। जिन्हें एक लिफाफे में रखकर सील्डमोहर कर मार्का सी दिया। मुलजिम को गिरफ्तार किया। फर्द जप्ती मादक पदार्थ गांजा प्रदर्श पी 3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सहमति गवाह बनने बाबत् सहमति पत्र प्रदर्श पी 5 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल प्रदर्श पी 7 है,

फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 8, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 9, पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 11 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मौके की कार्यवाही पूर्ण कर मय माल मुलजिम के थाने आये। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जो श्रीराम बढ़ेसरा सीआई साहब द्वारा नाया गया।

23. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि चैकिंग स्थल बारां झालावाड मैन रोड था। यह कहना सही है कि चैकिंग स्थल पर हमेशा व्यक्तियों का वाहनों का आवागमन रहता है। डिटेनशुदा व्यक्ति जब तेज कदमों से जाने लगा तो तब शक हो गया था कि इसके पास कोई मादक पदार्थ भी हो सकता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 03 पर पुलिसकर्मियों को ही गवाह बनाया है। यह कहना सही है कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह बनने के लिए चैकिंग अधिकारी ने नहीं रूकवाया। यह कहना सही है कि चैकिंग स्थल से बस्ती दो किलोमीटर दूर है। यह सही है कि बस्ती में से भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह बनने के लिए नहीं बुलाया। डिटेनशुदा व्यक्ति की तलाशी लेने से पूर्व मजिस्ट्रेट साहब या राजपत्रित अधिकारी को नहीं बुलवाया। चैकिंग करने के लिए सरकारी गाड़ी से गये थे जिसके नंबर याद नहीं है। यह कहना सही है कि सरकारी गाड़ी की कहीं भी आने–जाने पर लोकबूक भरी जाती है। अजखुद कहा इसको ड्राईवर ही भरता है। यह कहना सही है कि पत्रावली में लोकबूक नहीं है। यह कहना गलत है कि सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

24. गवाह पी0डब्ल्यू–09 श्रीराम बढेसरा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.06.2016 को पुलिस थाना बारां सदर में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन श्री बाबूलाल मीणा सब इंस्पेक्टर ने फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ 250 ग्राम गांजा तीन पैकेट मार्का ए, बी, सी मय कब्जे श्यामलाल अग्रवाल निवासी कलमंडा गिरफतारशुदा के पेश करने पर मजनून फर्द चैकिंग व जब्ती से मामला अपराध धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट का पाया जाने पर मार्का ए, बी, सी को थाना हाजा की मोहर से पुनः सील्ड मोहर कर जमा मालखाना करवाया गया एवं उच्चाधिकारियों के आदेश से मुकदमा नंबर 197/16 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान स्वयं के जिम्मे किया। 57 एन डी पी एस एक्ट की सूचना पृथक से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित की गई। फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध मादक पदार्थ 250 ग्राम गांजा बय कब्जा मुल्जिम श्यामलाल अग्रवाल प्रदर्श पी 3 है जिसकी पुश्त पर ई से एफ उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस का नोट अंकित है, एक्स स्थान पर पुनः नमूना सील

अंकित है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। आई से जे बाबूलाल मीणा के हस्ताक्षर हैं। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 10 है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने तफतीश बाबूलाल एस आई की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका उसके द्वारा बनाया गया जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ई से एफ प्रत्येक पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने तफतीश गवाह भीमराज, रामप्रसाद, आशारानी, विनोद कुमार, मेघराज, यशवीर सिंह, अर्जुनराम, भवानीसिंह, बाबूलाल के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए। जब्तशुदा सेंपल वास्ते रासायनिक परीक्षण भिजवाया जाकर जमा रसीद प्राप्त की गई। रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एफ एस एल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 12 है जो शामिल पत्रावली है। एफ एस एल हेतु भेजा गया अग्रेषण पत्र शामिल पत्रावली है। एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 है जो शामिल पत्रावली है जिसमें जब्तशुदा माल गांजा होना बताया है। रपट रवानगी प्रदर्श पी 15, 16, 17 है जो प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13 ए है जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में जब्तशुदा माल की इन्वेंटी कार्यवाही शामिल पत्रावली है। संपूर्ण तफतीश से मुल्जिम श्यामलाल अग्रवाल के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उच्चाधिकारियों से चालानी आदेश प्राप्त कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। चार्जशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

25. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह सही है कि उसने अपने अनुसंधान के दौरान प्रकरण में जब्तशुदा सामान नही देखा। उसके द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान प्रकरण में जब्त किये गये मादक पदार्थ की भौतिक सत्यापन की कार्यवाही नहीं करवायी गयी। यह सही है कि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी द्वारा करवाई जाती है। यह सही है कि उसके अनुसंधान के दौरान उसे प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। यह सही है कि उसके द्वारा केवल फर्द जब्ती की कार्यवाही के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानकर पत्रावली आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु थानाधिकारी के सुपुर्द कर दी गई थी। यह सही है कि उसके अनुसंधान में यह तथ्य सामने नहीं आया कि अभियुक्त मादक पदार्थ कहां से ला रहा था और कहां ले जा रहा था। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान कर अभियुक्त के विरूद्ध थानाधिकारी के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करवाया हो।

26. गवाह पी0डब्ल्यू–10 आशा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.06.2016 को में पुलिस थाना बारां सदर में उपनिरीक्षक (प्रशिक्षु) के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन बाबूलाल जी उपनिरीक्षक के साथ वह, विनोद कुमार, मेघराज, यशवीर, अर्जुनराम मय सरकारी जीप चालक भवानी के साथ गश्त करते हुए वास्ते गश्त व चैकिंग बामला जा रहे थे। झालावाड रोड खैराली तिराहे के पास में एक व्यक्ति कलमंडा की चलकर छिपने की कोशिश करने लगा जिसे बाबूलाल जी उपनिरीक्षक ने मय जाब्ते के घ ोरा देकर डिटेन किया। तरफ आता नजर आया जो जाब्ते को देखकर तेज कदमों से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल अग्रवाल बताया। वह काफी घबराया हुआ था और बार बार अपने हाथों को पीछे छुपाने का प्रयास कर रहा था। उसके बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। डिटेनशुदा व्यक्ति की तलाशी आवश्यक होने पर विनोद कुमार कांस्टेबल को स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु हुक्मनामा देकर रवाना किया जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि आस पास कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिला जिस पर जाब्ते में से विनोद व मेघराज को स्वतंत्र गवाह मामूर कर सहमति प्राप्त की गई। जाब्ते में एक दूसरे की तलाशी ली। किसी के पास कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उपनिरीक्षक बाबूलाल ने अपनी तलाशी श्यामलाल अग्रवाल को दी। उसके बाद श्यामलाल अग्रवाल को चैक किया तो श्यामलाल अग्रवाल के हाथ में एक सफेद साफी में कुछ लिपटा हुआ था। साफी को खोलकर देखा तो उसमें प्लास्टिक की थैली में हरे रंग का पदार्थ भरा हुआ मिला जिसे सूंघाए परखा जांचा तो जाब्ते में सभी ने मादक पदार्थ गांजा होना बताया। श्यामलाल अग्रवाल ने पूछा तो उसने भी गांजा होना बताया जिसके संबंध में अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। बरामदशुदा गांजा को तौला गया तो गाजे का शुद्ध वजन 250 ग्राम हुआ तो जिसमें से 50 ग्राम नमूना सेंपल लिया। नमूना संपल को मार्का ए दिया गया। शेष को उसी थैली में रखकर मार्का बी दिया। श्यामलाल की जमा तलाशी में 100क्र100 रूपये के तीन नोट व 10क्र10 रूपये के 30 नोट, कुल 600 रूपये मिले जिसे श्यामलाल ने गांजा बेचकर प्राप्त करना बताया जिसे एक लिफाफे में रखकर मार्का सी दिया गया। मादक पदार्थ व नोट जरिये फर्द जब्त किये गये जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

27. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे थाने से साढे 8 बजे रवाना हुए थे। जिस गाडी से वे गए थे उसके नंबर उसे पता नहीं है सरकारी गाडी थी। जिस व्यक्ति को उन्होंने डिटेन किया था वो पैदल–पैदल ही आ रहा था। जिस जगह पर उन्होंने मुल्जिम को डिटेन किया था उस जगह पर आवागमन की आवाजाही बहुत कम थी। 9.20 पर स्वतंत्र गवाह ढूंढने के लिए विनोज को भेजा

था। यह कहना सही है कि विनोद कुमार एफ सी 226 ने गवाह बनने बाबत् उसके सामने लिखित में सहमति दी थी।

28. गवाह पी0डब्ल्यू–11 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 05.06.2016 को वह थाना सदर बारां में एस आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन 08.30 ए एम पर में मय जाब्ता सुश्री आशारानी, विनोद कुमार, मेघराज, अर्जुनराम, यशवीर सिंह के मय सरकारी जीप व चालक भवानी सिंह के इलाका गश्त बामला बामली, रटावद, खैराली के लिए सरकारी जीप से रवाना हुआ था। थान से रवाना होकर बामला जा रहा था कि रास्ते में खैराली तिराहे के पास 09.15 ए एम पर एक व्यक्ति आता नजर आया जो पुलिस जीप को देखकर एकदम मुड़कर तेज कदमों से चलता हुआ साइड में छुपने की कोशिश करने लगा जिस पर संदेह होने से हमराही जाब्ते की मदद से पकडा जो एक सफेद साफी को हाथों में पकडे पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा थाए जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल पुत्र धन्नालाल महाजन निवासी कलमडा बताया। जो संदिग्ध हालत में होने से उसकी जमा तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से कांस्टेबल विनोद कुमार को लिखित में नोटिस देकर स्वतंत्र गवाहान की तलाशी हेतु रवाना किया जिसने दस मिनट बाद वापस आकर बताया कि आस पास कोई व्यक्ति कानूनी पेचीदगियों की वजह से गवाह बनने को तैयार नहीं है। इस पर हमराही जाब्ते में से कांस्टेबल विनोद कुमार व मेघराज को तलाशी कार्यवाही में गवाह बनने हेतु नोटिस देकर सहमति चाही गई। जिन्होने गवाह बनने के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान की। जिसके बाद संदिग्ध श्यामलाल ने भी उसके द्वारा ही लिखित में तलाशी लिया जाना सहमति प्रदान की। तत्पश्चात गवाहान व जाब्ता एवं मेरी जामा तलाशी श्यामलाल से लिवाई गई। उसके बाद गवाहान के समक्ष उसके द्वारा श्यामलाल की जामा तलाशी ली तो उसके हाथ में एक सफेद साफी मिली। जिसमें कुछ लिपटा हुआ था जिसको खोलकर देखा तो पोटली में एक थैली मिली जिसको खोलकर देखा तो हरे रंग का पदार्थ मिला। जिसको सूंघा व चखा तो मादक पदार्थ गांजा होना प्रतीत हुआ जिसको साथ में लाई गई तराजू भार से तौला गया तो गांजे का शुद्ध वजन 250 ग्राम हुआ जिसको अपने कब्जे मे रखने बाबत श्यामलाल से लाइसेंस चाहा गया तो नहीं होना बताया। श्यामलाल का बिना लाइसेंस गांजे को अपने कब्जे में रखना धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होने से गांजे को कब्जे पुलिस लिया जाकर 50 ग्राम गांजा बतौर नमूना संपल अलग निकालकर एक पॉलिथीन की थैली में रखकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क ए दिया व शेष बचे गाजे की मय साफी के दूसरे पैकेट में सील्ड कर मार्क बी दिया गया। तलाशी के दौरान श्यामलाल के पास 100–100 के तीन नोट व 10–10 के तीस नोट कुल 600 रूपये मिले जो पूछने पर

श्यामलाल ने गांजे की ब्रिकी के होना बताया जिनको बतौर वजह सबूत एक लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क सी दिया। समस्त लिखापढी मौके पर की गई। श्यामलाल को बाद आगाही जुर्म मौके पर गिरफतार किया गया। बाद मय मुल्जिम व जब्तशुदा माल के मय जाब्ता रवाना होकर थाना सदर पहुंचा। माल व मुल्जिम मय फर्दात कायमी मुकदमा हेतु एस एच ओ साहब के समक्ष पेश किये जिन्होने उक्त घटना का मुकदमा नंबर 197/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर माल को थाने की सील से पुनः सील कर जमा मालखाना करवाया था। मौके पर काम में ली गई सील उसकी स्वयं की सील थी। फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी 3 है जिस पर के से एल उसके व एम से एन अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। हुक्मनामा प्रदर्श पी 4 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह बनने की सहमति बाबत नोटिस प्रदर्श पी 5 है। गवाह का जवाब सहमति पत्र प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल प्रदर्श पी 7 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। फर्द नमूना सील पैकेट मार्क एए बीए सी प्रदर्श पी 8 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त के एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नष्ट नमूना सील प्रदर्श पी 9 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं तथा फर्द पुनः नमूना सील व सुपुदर्शी पैकेट एए बीए सी है जो प्रदर्श पी 10 हैं जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफतारी व जाना तलाशी अभियुक्त श्यामलाल प्रदर्श पी 11 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण के आई ओ साहब ने उसके बयान भी लिये थे। नकल रपट रवानगी संख्या प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा इन्वेंटरी रिपोर्ट की जा चुकी है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

29. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि थाने से रवाना होने के बाद जब्ती स्थल पर लगभग पौन घंटे में पहुंचे थे। जब्ती स्थल की दूरी 15 किमी थी। रास्ते में किसी भी वाहन या व्यक्ति को चैक नहीं किया। यह कहना गलत है कि थाने पर पहले से ही मादक पदार्थ के बाबत सूचना हो। यह कहना सही है कि डिटनशुदा व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की अजखुद कहा कि छुपने की कोशिश की थी जो सडक की साइड में गड्ढों में छुपन की थी। यह कहना गलत है कि सडक के साइड में गड्ढे नही हो। यह कहना सही है कि डिटेनशुदा व्यक्ति की तलाशी से पूर्व किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट साहब को नहीं बुलाया। फर्द विनोद कुमार कांस्टेबल ने

उसके निर्देशन में लिखी थी। यह कहना सही है कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति को कार्यवाही में गवाह नहीं बनाया। यह कहना सही है कि जो चैकिंग स्थल बनाया है उस स्थल पर हमेशा वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। बस्ती दो किमी दूर थी। यह कहना गलत है कि आने जाने वाले वाहन में सवार व्यक्ति व गांव में रहने वाले व्यक्तियों को गवाह बनाने का प्रयास नहीं किया हो। उसने जिन व्यक्तियों से गवाह बनने के लिए कहा था उन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया। यह कहना सही है कि सी आर पी सी के प्रावधानों के तहत गवाह बनने से मना करने पर कोई नोटिस नहीं दिया। यह सही है कि थाने की सरकारी जीप की आने जाने की लॉग बुक होती है जिसमें इंद्राज होता है कि वाहन को कहां ले जाया गया है। यह कहना सही है कि पत्रावली में लॉग बुक की कोई प्रति नहीं है। यह कहना गलत है कि थाने की सरकारी गाडी को लेकर वे जब्ती स्थल पर नहीं गये हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिम को इस प्रकरण में झूठा फंसाया हो। जिस सील द्वारा माल को जब्त किया था उसको हमने तोडकर मौके पर फेंक दिया था। फिर कहा कि सील को दूर फेंका था जिसकी में दूरी नहीं बता सकता। अनुसंधान अधिकारी को टूटी हुई सील नहीं मिली हो इस बारे में वह कुछ नहीं बता सकता।

30. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी 03 बाबूलाल मीणा के द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि बाबूलाल मीणा मय हमराही जाप्ता सुश्री आशा, विनोद कुमार, मेघराज, अर्जुन कुमार, यशवीर सिंह व जीप सरकारी चालक भवानी सिंह के साथ गश्त के दौरान झालावड मेगा हाईव खैराली तिराहा के पास पर एक व्यक्ति कलमण्डा की तरफ से आता नजर आने, जो पुलिस जाप्ते को देखकर छुपने की कोशिश करने, जिस पर संदेह होने से घेरा देकर पकडा और नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्यामलाल होना बताया। विनोद कुमार कांस्टेबल को लिखित में हुक्मनामा देकर स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु भेजा लेकिन कोई गवाह नहीं मिलने पर विनोद कुमार व मेघराज की सहमति लेते हुए गवाह मामूर कर उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो हाथ में एक सफेद साफी में प्लास्टिक की एक थैली को खोलकर चैक किया तो थैली के अंदर हरे रंग प्रदार्थ भरा हुआ मिलने, जिसे सुंघा तो उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया, जिसका शुद्ध गांजे का वजन 250 ग्राम हुआ, इस पर शुद्ध गांजा 250 ग्राम में से 50 ग्राम गांजा नमूना सैंपल निकालने व श्यामलाल की जामा तलाशी में सौ–सौ के तीन नोट तथा दस–दस के तीस नोट कुल 600 रूपए मिलने जिन्हें श्यामलाल के द्वारा गांजा बिक्री राशि होना बताने, जिन्हें सील्डबंद, सील्ड मोहर व जप्ती की कार्यवाही करते हुए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर बंद हवालात

करने के बाबत् पेश किया गया है जिस संबंध में बाबूलाल मीणा जप्तीकर्ता पी.डब्ल्यू–11 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होते हुए दिनांक 05.06.2016 को 08.30 एएम पर कस्बा गश्त में रवाना होने के लिए मय जाप्ता रवाना होने व खैरली तिराहे के पास एक व्यक्ति आता नजर आने जो पुलिस को जीप को देखकर छुपने जिसे डिटेन कर नाम पता पूछा तो अपना नाम श्यामलाल बताने, उक्त व्यक्ति के कब्जे से मिला गांजा बिना अनुज्ञापत्र प्रदर्श पी 03 के बरामद करने एवं मुल्जिम श्यामलाल के कब्जे से शुद्ध वजन 250 ग्राम होना पाया गया जिस बाबत् कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना पाया गया तथा मुल्जिम श्यामलाल के कब्जे से 100–100 के तीन नोट व 10–10 के तीस नोट कुल 600 रूपए भी मिलने जिन्हें बिक्री की राशि बताने व उक्त गांजा व रूपयों मौके पर सील्ड मोहर कर कार्यवाही करते हुए फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 मुर्तिब करने एवं हुक्मनामा प्रदर्श पी 04 एवं गवाह बनने की सहमति प्रदर्श पी 05, गवाह का जवाब सहमति पत्र प्रदर्श पी 06, फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल प्रदर्श पी 07, फर्द नमूना सील पैकेट मार्क ए, बी व सी प्रदर्श पी 08, फर्द नष्ट नमूना सील प्रदर्श पी 09, फर्द पुनः नमूना सील व सुपुर्दगी पैकेट ए, बी, सी प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी 11, नक्शा मौका प्रदर्श पी 02, नकल रपट रवानगी संख्या प्रदर्श पी 17 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14 होने जिन पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर दी गई है उसका खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा प्रदर्श पी 03 के माध्यम से मुल्जिम श्यामलाल के कब्जे से 250 ग्राम शुद्ध गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद होना साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होता है। इसी प्रकार जाप्ते के अन्य गवाह विनोद कुमार पी.डब्ल्यू–03 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 05.06.2016 को बाबूलाल मीणा के द्वारा उनकी उपस्थिति में मुल्जिम के कब्जे से गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने तथा मुल्जिम श्यामलाल की जामा तलाशी में उसके कब्जे से 600 रूपए भी मिलने जिन्हें बिक्री की राशि बताने, जिस बाबत् फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 मुर्तिब करने व हुकुमनामा प्रदर्श पी 04, गवाह बनने की सहमति का नोटिस प्रदर्श पी 05, फर्द सहमति गवाह प्रदर्श पी 06, फर्द सहमति संदिग्ध श्यामलाल प्रदर्श पी 07, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 08, फर्द नमूना नष्टीकरण सील प्रदर्श पी 09, ुर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 10 पर उसके हस्ताक्षर होने व मुल्जिम को प्रदर्श पी 11 के गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उसके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा फर्द जप्ती का अन्य गवाह मेघराज पी.डब्ल्यू–08 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम केक कब्जे से प्रदर्श पी 03 के माध्यम से उक्त गांजा बरामद करने तथा मुल्जिम श्यामलाल के कब्जे से 100–100 के तीन नोट व 10–10 के तीस नोट कुल 600 रूपए भी मिलने जिन्हें बिक्री की राशि

बताने एवं फर्द प्रदर्श पी 05, 07, 08, 09, 10, 11 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उसके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है। इस प्रकार उक्त गवाहान मेघराज व विनोद के द्वारा भी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 व अन्य कार्यवाही की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार जाप्ते के अन्य गवाहान यशवीर सिंह पी.डब्ल्यू–04 व भवानी सिंह पी.डब्ल्यू–05 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 05.06.2016 को बाबूलाल सिंह के द्वारा उनकी उपस्थिति में मुल्जिम के कब्जे से गांजा बिना अनुज्ञापत्र के बरामद करने तथा उक्त व्यक्ति से 3 नोट 100–100 रूपए के व 30 नोट 10–10 रूपए के कुमल 600 रूपए मिलने जिन्हें लिफाफे में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क सी देने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार कर उक्त कार्यवाही उनके सामने करने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दी है तथा जाप्ते की अन्य गवाह सुश्री आशा पी.डब्ल्यू–10 के रूप में परीक्षित होते हुए मुल्जिम के कब्जे से प्रदर्श पी 03 के माध्यम से उक्त गांजा व बिक्री की राशि कुल 600 रूपए बरामद करने के बाबत् साक्ष्य देते हुए जिरह में कृष्णमुरारी ने कथन किया है कि 9.20 पर स्वतंत्र गवाह ढूंढने के लिए विनोद को भेजने, विनोद कुमार ने गवाह बनने बाबत् उसके सामने लिखित में सहमति देने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाहान के द्वारा भी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 व अन्य कार्यवाही की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाह बाबूलाल, विनोद कुमार, मेघराज, यशवीर सिंह, भवानी सिंह व सुश्री आशा के द्वारा जो साक्ष्य पत्रावली पर दी गई है उसका खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा मुल्जिम श्यामलाल के कब्जे से 250 ग्राम गांजा बिना अनुज्ञापत्र के व बिक्री की राशि कुल 600 रूपए प्रदर्श पी 03 के माध्यम से जप्त किए जाने की पुष्टि उक्त गवाहान के द्वारा अपने–अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार मालखाने का गवाह रामप्रसाद नागर पी.डब्ल्यू–07 के रूप में परीक्षित होते हुए दिनांक 05.06.2016 को थाना सदर बारां में मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात होने, उस दिन मुकदमा नंबर 197/2016 का सील्ड शुदा माल पैकेट मार्क ए, बी व सी को मय अग्रेषण पत्र के भीमराज कांस्टेबल को श्रीमान् एसपी साहब बारां के माफर्त रासायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल जयपुर भेजने हेतु सुपुर्द करने, जिसने 09.06.2016 को जमा कराने की रसीद दिनांक 10.06.2016 की उसे लाकर पेश करने जिसे असल रसीद संबंधित आईओ को सुपुर्द करने तथा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 13 होने जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13ए होने के बाबत् साक्ष्य

पत्रावली पर दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–06 भीमराज के द्वारा दिनांक 08.06.2016 को थाना सदर बारां में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हुए मुकदमा नंबर 197/16 में एक सील्डशुदा पैकेट मार्क ए मय अग्रेषण पत्र के एफएसएल कार्यालय में जमा कराने हेतु सुपुर्द करने, जिसे लेकर एसपी कार्यालय बारां पहुंचने जहां पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर दिनांक 09.06.2016 को माल जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त कर दिनांक 10.06.2016 को उक्त जमा रसीद प्रदर्श पी 12 मालखाना इंचार्ज को पेश करने व अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 13 होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–01 अर्जुन के द्वारा दिनांक 05.06.2016 को थाना सदर बारां में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हुए मुकदमा नंबर 197/16 में धारा 57 एनडीपीएस की सूचना श्रीमान एसपी साहब बारां को पहुंचाने और सूचना देकर रिसीव्ड प्राप्त करने तथा सूचना प्राप्ति की रसीद प्रदर्श पी 01 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 का गवाह शंकर सिंह पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होते हुए मुकदमा नंबर 197/16 में आईओ श्री राम भढेसरा थानाधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 उसके सामने बनाने जिस पर उसके ए से बी हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–09 श्रीराम बढेसरा जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में पेश हुआ है उक्त गवाह ने अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेते हुए नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 मुर्तिब करने, रपट रवानगी प्रदर्श पी 15 लगायत प्रदर्श पी 17 होने, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 14, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी 10, रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा पत्र प्रदर्श पी 13, एफएसएल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 12, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 व मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 13 व प्रकरण में जप्तशुदा माल की इन्वेंट्री कार्यवाही शामिल पत्रावली करते हुए समग्र अनुसंधान से मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार गवाहान बाबूलाल, विनोद कुमार, मेघराज, यशवीर सिंह, भवानी सिंह व सुश्री आशा के द्वारा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 03 की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन्न पत्रावली पर मुल्जिम की ओर से नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 साक्ष्य से प्रमाणित होना प्रकट होता है तथा प्रकरण में जब्तशुदा माल के बाबत् इन्वेंट्री मय फोटोग्राफ्स की कार्यवाही करवाते हुए पत्रावली पर पेश किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश हुई है उसका खंडन्न पत्रावली पर मुल्जिम की ओर से किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना प्रकट होता है। जहां तक धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत उक्त माल जो मुल्जिम के कब्जे से बिना अनुज्ञापत्र के प्रदर्श पी 03 के माध्यम से जप्त किया गया है उस संबंध में उक्त फर्द

का खंडन्न मुल्जिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत समग्र साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

31. परिणामतः अभियुक्त **श्यामलाल** अग्रवाल पुत्र धन्नालाल निवासी कलमण्डा थाना सदर बारां जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा **8/20 एनडीपीएस एक्ट** के आरोप में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं मुल्जिम के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

<u>सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–</u>

32. सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिसमें उसे तत्काल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन हो। अतः अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराध आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये यदि उसे परीविक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से अभियुक्त का परिवार उसके जेल में रहने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। जबकि विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

33. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध गांजा की बरामदगी हुई है। वर्तमान में अवैध नशे का व्यापार बढ़ रहा है ऐसे में यदि अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया गया तो ऐसे मामलों में बढोत्तरी होगी। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर आरोपित अपराध में कारावास से दंडित न किया जाकर अर्थदंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

34. अतः अभियुक्त **श्यामलाल** अग्रवाल पुत्र धन्नालाल निवासी कलमण्डा थाना सदर बारां जिला बारां राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त को 500/–रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड की दशा में अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण हेतु नार्कोटिक विभाग को सौंपा जावे एवं जब्तशुदा राशि 600 रूपये बाद गुजरने मियाद अपील जमा राजकोष रहे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

35. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY
Date: 2026.03.12 17:00:27 +0530